कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक २५२१ / 14–1(FP/UP/Road/ 40150/2020) दिनांक, मुजफ्फरनगर, २०/ 12. 2021 ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
लोक निर्माण विभाग
गाजियाबाद।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए)लक्सर–पुरकाजी कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 के चौडीकरण हेतु 0.21 है0 संरक्षित वन भूमि के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के संवंध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या –8 बी0 / यू0पी0 / 06 / 24 / 2021 / एफ0सी0 / 1269 दिनांक–24.02.2021 एवं आपका पत्रांक– 595 / IC दिनांक–11.08.2021 ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 24 / 2021 / एफ0सी0 / 1269 दिनांक–24.02.2021 द्वारा कतिपय आपत्तियां एवं उनके निराकरण कें संबंध में उल्लेख किया गया है, के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपत्ति निराकण की आख्या आप द्वारा कोरियर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी, जिनमें निम्न अभिलेख इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए है–

1– आपत्ति क्रमांक–2 जिसमें कम्पोनेंटवाईस ब्रेकअप की अपेक्षा की गयी थी, कम्पोनेंटवाईस ब्रेकअप संलग्न नहीं है।

2– आपत्ति क्रमांक–4 जिसमें रेक्टिफाईड के0एम0एल0 की अपेक्षा की गयी है कि सी0डी0 उपलब्ध नहीं है।

3– आपत्ति क्रमांक–5 जिसमें जीओ रेफ्ररेंस्ड मैप के अनुसार के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 उपलब्ध नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक–11.08.2021 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराया गया है कि *प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जल्द ही आपके कार्यालय में सम्पर्क किया जायेगा।* उक्त के क्रम में परियोजना से भिज्ञ किसी कर्मचारी को पत्र द्वारा नामित करते हुए अधोहस्तक्षरी को अवगत करायें एवं उसे निर्देशित करें कि वह इस वन प्रभाग की सर्वे शाखा से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–24.02.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के संबध में अभिलेख पूर्ण कराने में यथा सम्भव सहयोग प्रदान करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हो सकें। उक्त के अतिरिक्त यह ध्यान रखा जायें कि परियोजना से संबंधित अभिलेख कॉरियर आदि के माध्यम से प्रेषित न कर उक्त अभिलेख अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि यदि किसी प्रकार की अभिलेखों में कमी हो तो उक्त कमी को समय रहते ठीक कर लिया जाये और अनावश्यक विलम्ब एवं पत्राचार से बचा जा सकें।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

I D:\FOREST-1\Surendra\Survey Branch\DM, SP CDO,SDM\DM- cd.doc